भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3597

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

3597. श्री अमरा रामः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में विगत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त राज्य को तिथि-वार और निधि-वार कितनी हिस्सेदारी प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विद्यार्थियों को मासिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो यह कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को जारी धनराशि तथा छात्रों की संख्या का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3597 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क): अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान राज्य को जारी की गई धनराशि:

वित्त वर्ष	अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना		अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	
	लाभार्थियों की संख्या	जारी केन्द्रीय हिस्सा (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी केन्द्रीय हिस्सा (करोड़ में)
2019-20	168095	33.23	457915	314.54
2020-21	183416	38.27	365604	284.01
2021-22	240500	36.73	217176	95.67
2022-23	राज्य ने केंद्रीय अंशदान संवितरण के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर राज्य अंशदान भुगतान का कोई डाटा साझा नहीं किया है		303252	241.38
2023-24	135092	28.23	151922	147.13

(ख): अनुसूचित जाति के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस) (सामाजिक न्याय और अधिकारित विभाग):

1. अनुसूचित जातियों (श्रेयस एससी) के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ: केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, निधियों का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है। इसलिए, श्रेयस एससी के तहत इनमें से किसी भी उप-योजना के संबंध में कोई राज्य-वार डाटा नहीं रखा जाता है।

(ग): लक्षित क्षेत्रों में उच्च स्कूलों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान राज्य को जारी की गई धनराशि:

वित्त वर्ष	मोड-I		मोड -II	
	जारी की गई धनराशि (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
2019-20	-	-	2.32	1500
2020-21	-	-	10.22	3850
2021-22	0.56	60	2.92	2300
2022-23	2.64	236	2.22	1738
2023-24	9.36	783	3.49	1616

मोड-I: अकादमिक वर्ष 2021-22 से मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए सीबीएसई/राज्य बोर्ड से संबद्ध निजी आवासीय स्कूलों को शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है;

मोड-II: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय/गैर-आवासीय स्कूलों और छात्रावासों की परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): ओबीसी और अन्य के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी)। सामाजिक न्याय और अधिकारित विभाग द्वारा राजस्थान राज्य को जारी की गई धनराशि:-

स्कीम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	जारी की गई धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या
ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	1115.29 लाख	1.66 लाख	1555.06 लाख	6.37 लाख	2972.55 लाख	0.25 लाख	3352.39 लाख	-	0.00	शून्य
ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	6813.04 लाख	0.55 लाख	1900.00 लाख	0.037 लाख	10226.00 लाख	0.77 लाख	2757.95 लाख	0.76 लाख	0.00	शून्य
ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा	योजना 2022-23 से लागू होगी						7.86 लाख	45	3.48 लाख	11
ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा	योजना 2023-24 से लागू होगी								692.7 लाख	404

(ङ): ओबीसी और अन्य के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)। सामाजिक न्याय और अधिकारित विभाग द्वारा राजस्थान राज्य को जारी की गई निधि:-

स्कीम	पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि और लाभार्थियों की संख्या का विवरण									
	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	जारी की गई धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या
ओबीसी उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	356.66 लाख	71	262.63 लाख	76	353.74 लाख	85	398.81 लाख	96	482.29 लाख	111
ओबीसी/ईबीसी के छात्रों के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना	11.31 लाख	19	13.76 लाख	35	20.29 लाख	37	19.88 लाख	21	12.80 लाख	14

(च): जनजातीय कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में राजस्थान राज्य के संबंध में पिछले 5 वर्षों के दौरान लाभार्थियों का विवरण

स्कीम	**वित्त वर्ष 2019-20 में लाभार्थियों की संख्या**	**वित्त वर्ष 2020-21 में लाभार्थियों की संख्या**	**वित्त वर्ष 2021-22 में लाभार्थियों की संख्या**	**वित्त वर्ष 2022-23 में लाभार्थियों की संख्या**	**वित्त वर्ष 2023-24 में लाभार्थियों की संख्या**
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	157234	192523	188746	55667	76272
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	299010	302116	229872	236628	168516

(छ): जनजातीय कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार धनराशि आवंटित नहीं की जाती है: -

एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएसटी), एसटी छात्रों हेतु उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (टॉप क्लास)।

****